Import of Australian Wheat

475. DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Australian wheat has been "Over Priced";

(b) the criteria of STC contract in this regard; and

(c) the programme for taking delivery, the target fixed and actual delivery received?

THE MINISTR OF COMMERCE (SHRI RAMAKRISHNA HEGDE): (a) and (b): The contract with Australian Wheat Board has been concluded by STC keeping in view its price competitiveness of C&F cost basis, its conformity to health standards and Phytosanitary norms laid down as per Prevention of Food Aldulteration Act. 1955 and PFS (Plant, Food Seed) Order, 1989.

(c) At the time of finalising the contract, the delivery period of 1 million MT was stipulated for March-April 1998 and 0.5 Million MT for May-15 June 1998 extendable to 31st July, 1998. As per present indications 10.5 lakh MT will be shipped from Australian Coast by end June'98. The balance quantity will be shipped in the post monsoon period commening from 15th August-15th October, 1998 as per the directions of the Deptt. of Food & Civil Supplied and FCI. As on 25.5.98 a quantity of 3.14 lakh MT has arrived at Indian ports.

मध्य प्रदेश में निर्यातोन्मुख एककः

476. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के निर्यातोन्मुख एककों तथा निर्यात प्रसंस्करण जोनों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार निर्यातोन्मुख एककों, निर्यात एककों तथा निर्यात प्रसंस्करण जोनों संबंधी नीतियों की समीक्षा करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन क्षेत्रों के नाम क्या-क्या हैं, जिनमें परिवर्तन किये जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े): (क) से (ग) 31.3.98 तक मध्यप्रदेश में 25 निर्यातोन्मुख एकक (ई ओ यू) मौजूद थे। 21 एककों के संबंध में सकल निर्यात निष्पादन संतोषजनक पाया गया है। शेष 4 एकक बंद है और इनके मामले विदेश व्यापार (डी एंड आर) अधिनियम 1992 के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशक को उपयुक्त कार्रवाई के लिए सौंप दिए गए हैं। मध्यप्रदेश में कोई निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (ई पी जैड) नहीं है।

ई ओ यू/ई पी जैड एककों से संबंधित नीति और क्रिया विधि की समीक्षा एग्जिम नीति बनाते समय की जाती है। अप्रैल 98 से प्रभावी संशोधित एग्जिम नीति और क्रिया विधि में कुछ मुख्य परिवर्तन किए गए हैं। इनमें शामिल हैं-निर्यात के प्रतिशत अनुपात के रूप में जरूरी न्यूनतम निवल विदेशी मुद्रा आय और पांच वर्षों के लिए न्यूनतम निर्यात निष्पादन को कम कर दिया गया है और इसे सरल एवं कारगर बना दिया गया है। घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डी टी ए) बिक्री की हकदारी का लाभ उठाने के लिए समय सीमा को तीन वर्षों की अवधि तक बढ़ाने के लिए ई पी जैड एककों के विकास आयुक्तों को अधिकार प्रदान किया गया है और उत्पादन के एक भाग को डी टी ए में उपसंविदा करने संबंधी प्रावधानों को तथा डी टी ए बिक्री के लिए उत्पादों के एक साथ मिलाने संबंधी प्रावधानों को भी उदार बनाया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों का पुनरूद्धार

477. श्री ओंकार सिंह लखावत: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के रूग्ण एककों का पुनरूद्धार करने के लिए कोई समयबद्ध परिणामोन्मुखी व्यवस्था विकसित करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धन हेतु प्रबन्धकों का चयन करने के लिए कोई काडर बनाने का विचार रखती है;

(घ) क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रबन्धन व्यावसायिक दक्षता प्राप्त विशेषज्ञों को सौंपने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है?